आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
27/09/2021	**न्यायालय, आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **एस०ए०आर० पुनरीक्षण वाद 29/2015** **आदित्य साहु व अन्य** **बनाम्** **एतवा उराँव** **आदेश** एस.ए.आर. पुनरीक्षण –29/2015 आदित्य साहु व अन्य के द्वारा एतवा उराँव के विरूद्ध दायर किया गया था; जिसमें एस.ए.आर. अपील–60आर15/2012–13 में उपायुक्त राँची द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। प्रश्नगत् विषय में खाता नं०–5, खेसरा नं०–1434, रकबा–0.44 एकड़ भूमि जो ग्राम–करकट टोला, अंचल चान्हों में अवस्थित है कि भूमि संहित है। भूमि–सुधार उप समाहर्त्ता, राँची द्वारा प्रश्नगत भूमि की वापसी हेतु दायर वाद संख्या–15/2005–06 को अस्वीकृत कर दिया गया। अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त आदेश को रद्द करते हुए भूमि वापसी हेतु आदेश पारित किया गया। जिसके विरूद्ध यह पुनरीक्षण दायर किया गया है। अपीलार्थियों का दावा है कि 1953 में भूके उराँव, टुरिया उराँव एवं जतरू उराँव द्वारा 1000 रूपये की सलामी लेकर प्रश्नगत भूमि उनके पिता जगरनाथ साहु के साथ दर–रैयति बंदोबस्त की गई। इसके पश्चात् आवेदकों के द्वारा उक्त भूमि पर मकान का निर्माण किया गया। विगत सर्वे में प्रश्नगत् भूमि पर आवेदकों का ही दखल पाया गया था। अंचल अधिकारी चान्हों द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन में भी आवेदकों के मकान आदि का स्पष्ट उल्लेख है। क्योंकि आवेदक प्रश्नगत भूमि के दर–रैयत है; अतः इस वाद में धारा–71ए, लागू नहीं होती है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम में दर–रैयत की मान्यता प्राप्त है। अतः इतने वर्षो के वाद प्रश्नगत् भूमि के वापसी को कोई औचित्य नहीं है। भूमि वापसी का दावा 50 वर्षों के पश्चात् किया गया है। अतः यह विचार योग्य नहीं है।	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आ... गई ... बारे मे... तारीख साथ।

विपक्षी का दावा है कि 1953 के कथित सादा हुकुमनामा को किसी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस हुकुम नामा के आधार पर वर्ष 2001 में आवेदकों के द्वारा भूमि पर दावा किया गया तथा मकान का निर्माण किया गया। सादा हुकुमनामा के आधार पर आदिवासी रैयत की भूमि का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता।

उभय पक्षों की सुनवाई तथा अभिलेखो के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत् भूमि एतवा उराँव वो विगना उराँव के नाम से दर्ज है। विपक्षी खतियानी रैयत के उत्तराधिकारी हैं। आवेदकों के द्वारा 1953 में दर–रैयत बनाकर हुकुमनामा दिये जाने का दावा किया गया है। किन्तु वर्ष 1953 में उपायुक्त के पुर्व अनुमति के बिना आदिवासी रैयती भूमि के हस्तांतरण का कोई प्रावधान नहीं था। स्पष्टतः सादा हुकुमनामा के माध्यम से किये गये इस कथित बन्दोबस्ती की बैधानिक मान्यता नहीं है। छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के तहत दर–रैयत का प्रावधान है। किन्तु धारा–4 एवं 6 प्रावधानों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि दर–रैयत व्यवस्था मात्र कृषि कार्य हेतु मान्य है। आवासीय कार्य हेतु दर रैयत बंदोबस्ती की मान्यता नहीं है। इस प्रकार आवेदकों का प्रश्नगत भूमि पर दखल स्पष्टतः अवैध है। आवेदकों के तरफ से दायर चौकीदारी रसीद में भूमि का उल्लेख नहीं है। अन्य कागजात जो प्रस्तुत किये गये है 1980 के बाद के ही हैं। आवेदकों के नाम से लगान रसीद भी 2001–02 से निर्गत हैं। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा आवेदकों को मात्र दर–रैयत होने के आधार पर भू–वापसी का दावा अस्वीकृत किया गया था किन्तु;1953 में आदिवासी रैयत द्वारा बिना उपायुक्त के पूर्व अनुमति किसी भी प्रकार से भूमि के अन्तरण को वैध नहीं माना जा सकता। आवेदकों के तरफ से प्रस्तुत किया गया दर–रैयत हुकुमनामा कास्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। अपीलीय न्यायालय द्वारा इस विषय की विस्तृत विवेचना करते हुए आदेश पारित किया गया है, जो पूर्णतः तथ्यपरक है। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को मान्य करने का कोई आधार नहीं है। अतः इस पुनरीक्षण आवेदन को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त 27/9/24

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.08.26 18:19:36 +05:30
Location: 192.168.1.40